(९५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 984/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.05.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 268/अपील/14-15.

बद्रीदास पिता भगवानदास जाति बैरागी
निवासी ग्राम खमालिया, तहसील सरदारपुर,
जिला धार, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

जयाबाई पति ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण
निवासी ग्राम खमालिया, तहसील सरदारपुर,
जिला धार, म.प्र. .....अनावेदक

श्री राजेश वर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका जयाबाई स्व. पति ओमप्रकाश ब्राह्मण, निवासी ग्राम खमालिया, तहसील सरदारपु द्वारा तहसीलदार, तहसील सरदारपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खमालिया स्थित कृषि भूमि सर्वे

क्रमांक 99, 100, 103 कुल रकबा 2.226 हैक्टेयर भूमि अनावेदिका की सास स्व. शांताबाई के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित थी। प्रश्नाधीन भूमि स्व. शांताबाई ने अपने जीवनकाल में ही वारिस नाते राजस्व प्रपत्रों में अंकित करवा दी थी, तभी से अनावेदिका प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी होकर आधिपत्य की कृषि भूमि में फसलें उत्पादित कर प्राप्त करती चली आ रही है। इस वर्ष भी सोयाबीन, मक्का आदि की फसल बोई हुई है। अनावेदिका की सास स्व. शांताबाई की मृत्यु के पश्चात् उसके भाई आवेदक बद्रीदास पिता भगवानदास बैरागी द्वारा कपटपूर्ण बिना उसकी जानकारी के झूठे आधारों पर प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम अंकित करवा लिया है, जो उस पर बंधनकारी नहीं है। अत: पटवारी से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में मौका पंचनामा एवं कब्जा रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अनावेदिका की प्रश्नाधीन भूमियों के राजस्व अभिलेखों में जो परिवर्तन किया गया है, उसे पूर्व की स्थिति में लाया जाये। तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण क्रमांक 112/अ-6/12-13 दर्ज कर दिनांक 16.08.2013 को प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में अनावेदिका का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सरदारपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.03.2015 को अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10.05.2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26.03.2015 निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) किसी भी सिविल वाद में कोई निर्णय या डिक्री दी गई है, तो उसे व्यवहार न्यायालय की अपील कोर्ट ही निरस्त, उलट या उस पर अपना निर्वचन कर सकती है। राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सिविल न्यायालय की डिक्री व निर्णय को निर्वचन करने से बाधित किया

है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 10.05.2016 पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदक को अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई अपील की सुनवाई का कभी कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील की प्रोसेडिंग्स की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी प्रोसेडिंग्स में अनावेदिका को चस्पे से सूचना पत्र तामिली जारी करने बाबद कोई आदेश प्राप्त ही नहीं किया गया, न ही प्रोसेडिंग्स में इस बात का कहीं उल्लेख है कि अनावेदिका नोटिस नहीं ले रहा है, उसे सूचना पत्र चस्पे से तामिल कराया जाये। इस बाबद आवेदन पत्र का उल्लेख प्रोसेडिंग्स में नहीं है। इसके बाद भी दिनांक 21.03.2016 को चस्पीदगी की तामिली प्राप्त हो जाना आश्चर्यचकित करता है। दिनांक 21.02.2016 की प्रोसेडिंग्स में अनावेदिका को न्यायालय द्वारा पुकार लगाई गई हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है। बगैर आदेश के चस्पे से तामिली जारी करना तथा बगैर विधि की प्रक्रिया का कोई पालन किये अनावेदिका के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। ऐसी संपूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाती है। इसलिए एकपक्षीय आलोच्य आदेश दिनांक 10.05.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देते समय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से यह भी तथ्य ज्ञात हो गया था कि अनावेदिका जयाबाई पति स्व. ओमप्रकाश ने एक फर्जी व झूठा आदेश तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर का आदेश दिनांक 16.08.2013 प्रस्तुत कर अपने पक्ष में नामांतरण करवा लिया, जबकि आवेदक ने दिनांक 10.09.2014 को इस संबंध में लिखित शिकायत भी की है। तहसीलदार ने अपने हस्ताक्षर आदेश दिनांक 16.08.2013 पर होने से इंकार किया एवं प्रकरण की आदेश पत्रिका पर भी तहसीलदार ने अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया। यह आचरण अनावेदिका का रिकॉर्ड पर होने के बावजूद तथा अनावेदिका के पक्ष में जारी आदेश दिनांक 16.08.2013 को संदिग्ध मानने के बावजूद भी ऐसे आदेश को अकृत व शून्य नहीं मानकर अपर आयुक्त ने गंभीर त्रुटि की है, ऐसे आदेश को किसी भी स्थिति में स्थिर नहीं रखा जा सकता। तहसीलदार का आदेश दिनांक

16.08.2013 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 10.05.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अपर आयुक्त के समक्ष इस बात का प्रमाण/अभिलेख मौजूद था कि अनावेदिका जयाबाई ने तहसीलदार सरदारपुर का आदेश दिनांक 16.08.2013 का कपटपूर्वक फर्जी रूप से प्राप्त किया है, जिसके आधार पर उसने राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है, इसके बावजूद ऐसे आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने अकृत व प्रभाव शून्य घोषित नहीं किया, बल्कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26.03.2015 को निरस्त कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा कानून के दायरे से बाहर जाकर अनावेदिका को सहायता आलोच्य आदेश दिनांक 10.05.2016 के द्वारा दी गई है, जो प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है।

(5) अपर आयुक्त का आदेश प्रथम दृष्टया इसलिए भी निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि के स्वत्व की जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया गया है, जबकि विधि का यह सिद्धांत है कि स्वत्व की जांच राजस्व न्यायालय को नामांतरण की कार्यवाही में निराकृत नहीं करना चाहिए, यह सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अत: अधिकारिता रहित आदेश दिया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

तर्कों के समर्थन में 2009 रा.नि. 155 एवं 2016 रा.नि. 350 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) दिनांक 31.01.2008 को अनावेदिका एवं अन्य के मध्य हुए बंटवारे का आदेश दिनांक 31.01.2008 को शांताबाई के मृत्यु के पूर्व पारित किया गया, जबकि आवेदक बद्रीलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र शांताबाई की मृत्यु के उपरांत इस आशय से प्रस्तुत किया था कि दिनांक 13.07.1949 को मृतक शांताबाई बेवा रेवीदास द्वारा उसके पक्ष में तस्फीयानामा पत्रों निष्पादित किया।

(2) दिनांक 31.01.2009 को निष्पादित निर्णय जयपत्र के आधार पर बद्रीदास को किसी प्रकार का कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता है, क्योंकि उक्त प्रकरण में न तो मूल भूमि स्वामी को पक्षकार बनाया है न उसके संबंधित वारिसों को सूचना पत्र जारी किये गये, चूंकि उक्त जयपत्र शैतानबाई पति रामदास बैरागी के मध्य पारित किया होने से एवं प्रत्यक्ष रूप से कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त न होने से उक्त जयपत्र आवेदक बद्रीदास एवं शैतानबाई द्वारा दुरभी संधि युक्त न्यायालय को धाखा देने की दृष्टि से पारित किया होने से उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में उक्त जयपत्र आज प्रभावशील भी हो तो आवेदक को उक्त जयपत्र के आधार पर किसी प्रकारका स्वत्व अर्जित नहीं होता है।

(3) दिनांक 31.01.2008 तहसीलदार द्वारा प्रकरण 29/अ-27/07-08 में पारित आदेश संहिता की धारा 178 के अंतर्गत प्रस्तुत किया था, जिसमें सर्वे नम्बर 99, 100, 103 की भूमि स्वामी शांताबाई पति हनुमानदास द्वारा अपनी जीवित अवस्था में स्वेच्छा से उक्त सम्पत्ति अनावेदिका को प्रदान कर दी थी तथा उसका कब्जा भी उसे सौंप दिया था। तदनुसार तहसीलदार द्वारा कब्जे के आधारपर पटवारी से फर्द बटांकन प्राप्त कर फर्द बटांकन के आधार पर बंटवारे का आदेश पारित किया गया था, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं थी और उक्त आदेश के पालन में सर्वे नम्बर 99, 100 एवं 103 की भूमि पर अनावेदिका जयाबाई का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ।

(4) बद्रीदास को उक्त आदेश की जानकारी उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में सर्वप्रथम हो चुकी थी, जब उसके द्वारा तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.01.2008 को पारित आदेश की जानकारी आलोच्य आदेश अपील 112/अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2013 अनुसार हो चुकी थी। वास्तव में दिनांक 31.01.2008 का आदेश जिसमें अनावेदिका का नाम फर्द बटांकन के आधार पर दर्ज करने का आदेश पारित किया, उसे आवेदक द्वारा कोई चुनौती नहीं दी होने से उक्त आदेश अंतिम व पुष्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति में मूल आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

(5) आवेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 99, 100 एवं 103 की भूमि स्वामी श्रीमती शांताबाई पति हनुमानदास बैरागी के दिनांक 13.07.1949 को निष्पादित तस्फीयानामा को आधार लेते हुए

दिनांक 16.08.2013 को पारित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया। वास्तव में उक्त तस्फीयानामा मूल प्रकरण में प्रदर्शांकित नहीं हुआ है और न ही उक्त दस्तावेज आवेदक द्वारा आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज प्रदर्शांकित हुए बिना उक्त दस्तावेज का निष्कर्ष निकालना एवं नवीन संशोधित भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत बिना साक्ष्य अंकित किये एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा उस दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में पारित निर्णय एवं जयपत्र के आलोक में 16.08.2013 को पारित आदेश निरस्त कर प्रकरण की पूर्ववर्ती स्थिति कायम करने के जो आदेश पारित किये हैं, वह त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में उस तस्फीयानामा में इस बात का उल्लेख है कि अगर "शांताबाई बिना इंतजाम जायदाद फौत हो जावे तो उसका वारिस बद्रीदास रहेगा" का उचित मनन एवं आंकलन नहीं किया। वास्तव में शांताबाई द्वारा उक्त सम्पत्ति अपनी जीवित अवस्था में ही अनावेदिका को प्रदान कर दी गई थी एवं तदनुसार तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.01.2008 को फर्द बंटाकन का आदेश पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त कथन औचित्यहीन हो जाते हैं, क्योंकि शांताबाई द्वारा अपने मृत्यु के पूर्व उसकी संपत्ति का इंतजाम कर दिया था। यदि मृत्यु के पश्चात् भूमि स्वामी शांताबाई वादोक्त संपत्ति का इंतजाम नहीं करती तो उक्त दस्तावेज के आधार पर निश्चित ही आवेदक बद्रीलाल को स्वत्व अर्जित होते।

अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय के निर्णय दिनांक 31-1-2009 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम अंकित करने का आदेश पारित किया गया है परन्तु व्यवहार न्यायालय के इस वाद में अनावेदिका को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा शैतानबाई के विरूद्ध घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है, जबकि शैतानबाई प्रश्नाधीनभूमि की भूमिस्वामी नहीं होकर स्वर्गीय शांताबाई प्रश्नाधीन भूमि की राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी थी उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी बहु अनावेदिका जयाबाई की

कब्जे में प्रश्नाधीन भूमि रही है, जिसकी पुष्टि पटवारी के मौका स्थल जॉच रिपोर्ट से होती है । जहॉ तक तहसीलदार के आदेश का फर्जी होने का प्रश्न है इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जॉच किये जाने पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-8-2013 संदिग्ध पाया गया इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया है, किन्तु जिस व्यवहार वाद में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त आदेश निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जबकि उक्त वाद में अनावेदिका पक्षकार नहीं होने से वाद में पारित निर्णय अनावेदिका पर बन्धनकारी नहीं है । प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में फर्जी नामान्तरण की गंभीरता को देखते हुये तथा व्यवहार वादों में पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रकरण का पुन: विश्लेषण किया जाना आवश्यक है । अत: अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-8-2013 के संबंध में आवश्यक जॉच कर विधि अनुसार कार्यवाही तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर